BIADA **<u>प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.19 को आयोजित परियोजना समाशोधन समिति(पी.सी.सी.) बैठक की कार्यवाही</u>**

उपस्थिति:-

1. श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक, पटना।
2. श्री एस.पी. रॉय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
3. श्री पी.के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।
4. श्री जी.पी. सिंह, सदस्य, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।
5. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना।
6. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा।

<u>कार्यवाही</u>

दिनांक 01 से 31 जनवरी, 2019 तक भू-आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, पटना अन्तर्गत 06 एवं दरभंगा के लिए 05 अर्थात कुल 11 ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुआ। समिति द्वारा इन सभी आवेदनों की समीक्षा की गई, जो इस प्रकार है:-

1. <u>सर्वश्री नवीन इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, धरमपुर, दरभंगा:-</u> इनके द्वारा Readymade Garments के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 26 (P I) रकवा-15681 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 63 अंक प्राप्त हुए हैं।

   <u>निर्णय:-</u> समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदनन के जाँचोपरांत औद्योगिक प्रांगण, धरमपुर, दरभंगा में प्लॉट संख्या-26 (P I) रकवा-15681 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

2. <u>सर्वश्री बालाजी इंटरप्राईजेज, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा:-</u> इनके द्वारा Multi Layer Film के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या K-2, (Phase-III) रकवा-8220 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए हैं।

   <u>निर्णय:-</u> समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा में प्लॉट संख्या-K-2 (Phase-III) रकवा 8220 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. <u>सर्वश्री एस0 आर0 एम0 इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी:-</u> इनके द्वारा Non Woven Bags Manufacturing के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 15 रकवा-10890 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए हैं।

<u>निर्णय:-</u> समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी में प्लॉट संख्या-15 रकवा-10890 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदक को यह सूचित करने का निदेश दिया गया कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का उत्पादन नहीं करेंगे।

4. <u>सर्वश्री बिकानेर एलाईट, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा:-</u> इनके द्वारा All Types of Sweets, Snacks & Confectionery के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C-39 रकवा-8000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 90 अंक प्राप्त हुए हैं।

<u>निर्णय:-</u> समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में प्लॉट संख्या-C-39 रकवा-8000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

5. <u>सर्वश्री बिहार इंटरप्राईजेज, औद्योगिक क्षेत्र, नवादा:-</u> इनके द्वारा Steel Almirah & Steel Furniture के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या B-6 (P) रकवा-5000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। साथ हीं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 45 अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम निर्धारित अहर्ता से कम है।

<u>निर्णय:-</u> अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. <u>सर्वश्री इकोभेटा सॉल्यूशन प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी:-</u> इनके द्वारा Maida, Atta, Sujji, Bran के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 121 रकवा-21780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। आवेदक का नेटवर्थ, परियोजना लागत के 20% से कम है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

7. सर्वश्री गैलेक्सी इन्टरप्राईजेज, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा:- इनके द्वारा Packaged Drinking Water के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A-18(P) रकवा - 9000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। साथ हीं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 31 अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम निर्धारित अहर्ता से कम है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. सर्वश्री पैशन फूड उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद:- इनके द्वारा Flour(Atta), Chokar, Mustard Oil, Mustard Cake etc के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C-6 & C-7 रकवा-20000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। साथ हीं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 22 अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम निर्धारित अहर्ता से कम है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

9. सर्वश्री इकोभेटा सॉल्युशन प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डौल, मधुबनी:- इनके द्वारा Maida, Atta, Sujji, Bran के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 122(P-II), 124(P), 126(P) रकवा-56000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवेदक का नेटवर्थ, परियोजना लागत के 20% से कम है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. सर्वश्री यूनो डिजिटल प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा:- इनके द्वारा Manufacturing of Technical & Medicated Textile & Digital Printing के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C-33 रकवा-34510 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 92 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में प्लॉट संख्या-C-33 रकवा-34510 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

11. सर्वश्री अरहा फ्लोर मिल प्रा0 लि0, फूड पार्क, सिकन्दरपुर:- इनके द्वारा Wheat Flour Products, Biscuit, Maize Products के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या D-3, रकवा-43560, D-4 रकवा-65340 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई द्वारा नेटवर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए जाने के उपरांत, उनसे नेटवर्थ सर्टिफिकेट की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा ससमय अपलोड नहीं किया गया।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

12. सर्वश्री इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा:- इनके द्वारा Oil and Natural Gas Under MoNP&G परियोजना की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C-33 रकवा 34510 वर्गफीट के आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदन पत्र के अनुसार, इकाई द्वारा भवन पर 30 करोड़, मशीन संयंत्र पर 2 करोड़ का निवेश किया जायेगा एवं 160 (120 Contract Employee सहित) व्यक्तियों का नियोजन होगा। इनके द्वारा आवेदन में भरे गए आँकड़े Relevant नहीं है। साथ हीं यह परियोजना प्राथमिक क्षेत्र की मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत नहीं है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

13. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को सिवान में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु 7.53 एकड़ भूमि आवंटन:- सरकार के उप सचिव, उद्योग विभाग, पटना के पत्रांक 5994 दिनांक 24.12.18 द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना को

अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु सिवान जिलान्तर्गत सिवान सहकारिता सूता मिल की 7.53 एकड़ भूमि का आवंटन करने का निदेश दिया गया। उक्त विभागीय निदेश के आलोक में बियाडा के पत्रांक 672/डी. दिनांक 04.02.19 द्वारा यह भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवंटित किया गया है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा उक्त आवंटन पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना को पण्डॉल, मधुबनी में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु 7.50 एकड़ भूमि आवंटनः- सरकार के उप सचिव, उद्योग विभाग, पटना के पत्रांक 5333 दिनांक 28.11.18 द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना को अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु मधुबनी जिलान्तर्गत पण्डॉल सहकारिता सूता मिल की 7.50 एकड़ भूमि का आवंटन करने का निदेश दिया गया। उक्त विभागीय निदेश के आलोक में बियाडा के पत्रांक 670/डी. दिनांक 04.02.19 द्वारा यह भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को आवंटित किया गया है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा उक्त आवंटन पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

15. ई-रेडिएशन-सह-पैक हाउस(सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित इकाई की स्थापना हेतु भूमि का कर्णांकणः- खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, पटना के पत्रांक 191 दिनांक 12.02.19 द्वारा उक्त परियोजना हेतु औद्योगिक क्षेत्र फतुहा(पटना), औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर(वैशाली) एवं बिहटा(पटना) में 5.00 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत उद्योग विभाग के निदेश पर औद्योगिक क्षेत्र फतुहा, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर एवं बिहटा में 5.00 एकड़ भूमि कर्णांकित करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/- उपाध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।	ह0/- बिहार इण्ड0 एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।

ह0/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, दरभंगा।	ह0/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना	उप उद्योग निदेशक उद्योग विभाग, पटना।	ह0/- प्रबंध निदेशक बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 1137/D

दिनांक 18/02/19

प्रतिलिपि:- पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा, पटना/ कार्यपालक मीडिया, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/19

कार्यकारी निदेशक।